2023/62

फर्द अहकाम्

(नियम–13)

(General Rule (Civil), Rule 103, Appendix 'B' Form No.91)

अज अदालत– .... सहायक कलक्टर .... मुकाम– .... डीडवाना ....

प्रार्थी :– राजु पुत्री बुदर राम पत्नि भोलूराम उम्र 38 वर्ष जाति जाट निवासी गोदरास तहसील डीडवाना हाल निवासी कलवानी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0।

बनाम्

अप्रार्थीगण :– बुदरराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी गोदरास, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 वगैराह।

किस्म मुकदमा– राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 R.T.Act. संख्या 19 सन– ....2023.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए।
19.01.2023	प्रार्थी राजु पुत्री बुदर राम पत्नि भोलूराम उम्र 38 वर्ष जाति जाट निवासी गोदरास तहसील डीडवाना हाल निवासी कलवानी तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 ने यह प्रार्थना–पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण बुदरराम पुत्र सुरजाराम जाति जाट निवासी गोदरास, तहसील डीडवाना जिला नागौर राज0 वगैराह का पेश किया। प्रार्थना–पत्र दर्ज रजिस्टर हो। स्थगन पर एकपक्षीय तर्क वकील प्रार्थी श्री हरफुल राव को सुना गया तथा रेकर्ड का अवलोकन किया। रेकर्ड के अवलोकन करने, तर्कों पर मनन् करने तथा प्रार्थी के शपथ–पत्र पर विश्वास करते हुए, अप्रार्थीगण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि, वे आगामी पेशी तक सरहद गोदरास, पटवार हल्का खुनखुना के खसरा सं0 223 रकबा 5.0800 हैक्टयर, खसरा सं0 221 रकबा 1.3600 हैक्टयर, खसरा सं0 225 रकबा 3.3800 हैक्टयर की भूमि में राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनायें रखें व किसी प्रकार का बैचाण नही करें। नोट :– 1. उक्त स्थगन आदेश धारा 251A, 251 पर प्रभावी नही रहेगा। 2. प्रार्थी पक्ष सी0पी0सी0 के आदेश 39 नियम 3 की पालना करना सुनिश्चित करें। 3. अप्रार्थीगण के समन जरिये रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये जावें। अप्रार्थीगण को तलब होकर पत्रावली दिनांक 10.02.2023 को पेश हो। सहायक कलेक्टर डीडवाना (नागौर)	
10/2/23	पत्रावली ... अदालती कार्य स्थगित रखा हैं, मिसल दिनांक 16/3/23 को पेश हो।	
16/3/23	पत्रावली पेश हुई। बार संघ ने अदालती कार्य स्थगित रखा हैं, मिसल दिनांक 12/4/23 को पेश हो।	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.10.14 14:21:56 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	22/11/24 वकील प्रार्थी उप.। अप्रार्थीगण की तलबी के लिए समन तलबाना पेश करें। पेश होने पर समन जारी हो। पत्रावली वास्ते तलबी दिनांक 17/12/24 को पेश हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी [illegible]	
17/12/2024	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीया व उसके अधिवक्ता को बार-बार पुकार लगाई गई परन्तु पुकार के बावजूद भी न्यायालय में अनुपस्थित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थीया अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली नतीजे नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। Vikas उपखण्ड अधिकारी [illegible]	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2025.10.14 14:21:56 IST
Reason: SelfAttested